19/4/22

पत्रावली पेश हुई। ओल[?] प्रार्थना पत्र
ही बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। रजिस्टर[?]
रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण का वाद
स्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रथम से [illegible]
जारी दाखिल खारिज हो। पत्रावली फैसल[?]
सुनाई होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
80 / 2016	3.10.2016	19.04.2022

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हेमन्त आत्मज हीरालाल
2– लोकेश आत्मज हीरालाल
जाति ब्राह्मण निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
2– भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री छीतरलाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

वादीगण ने उपरोकत शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में निम्न खसरा नम्बरान की भूमि अमृतलाल आत्मज प्यारेलाल जाति ब्राह्मण निवासी सुल्तानपुर के खाते दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 संलग्न है।

खसरा नम्बर 304 की 0.67 हैक्टर
खसरा नम्बर 305 की 0.64 हैक्टर
कुल 2 किता की 1.31 हैक्टर भूमि

यह कि उपरोक्त भूमियां खातेदार अमृतलाल के नाम दर्ज चली आ रही है बाद सेटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दौराने सेटलमेन्ट ' भूदान यज्ञ बोर्ड जयुपर' अंकित कर दिया। खातेदार अमृतलाल की मृत्यु होने के बाद उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की गयी है। इसी कारण वर्तमान में वादीगण के नाम उक्त भूमि शामलाती रूप से दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम के आगे ' भूदान यज्ञ बोर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जयपुर ' शब्द अंकित किया हुआ है। जो बिना किसी सक्षम आदेश के गलत रूप से दर्ज किया हुआ है। जबकि सेटलमेन्ट के पूर्व' भूदान यज्ञ बोर्ड जयुपर ' दर्ज नहीं था।

यह कि उपरोक्त भूमि से व खातेदारान से भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर का कोई सम्बन्ध नही रहा है और न भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के यहां बन्धक है और न उस पर कोई ऋण बकाया है वादीगण कोई भी मेम्बर नहीं है और यह भी अंकित नही है। इस कारण राजस्व रिकार्ड से ' भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर ' का नोट हटाया जाना आवश्यक है।

यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 13.09.2016 को ' भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर का नोट राजस्व रिकार्ड`से हटाये जाने का निवेदन किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया ओर सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वा पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

प्रार्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2071–2074 ग्राम सुल्तानपुर
2– नकल जमाबन्दी सं0 2055 से 2058 ग्राम सुल्तानपुर
4– नकल भूदान यज्ञ बोर्ड प्रमाण पत्र
5– नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069
6– नकल नक्शा ट्रेस

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल फायल किया एवं प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः–

यह कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की प्रश्नगत भूमि राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को जरिये दानपत्र प्राप्त हुई थी। भूदान बोर्ड द्वारा दिनांक 26.04.1964 को श्री अमृतलाल पुत्र प्यारेलाल जाति ब्राहम्ण को तत्कालीन खसरा नम्बर 141 में 8 बीघा 6 बिस्वा का आवंटन किया गया था।

यह सही नहीं है कि प्रश्नगत भूमि अमृतलाल के नाम खातेदारी में चली आ रही थी। भूदान बोर्ड को को श्री मथुरालाल पुत्र गणपतलाल के द्वारा जरिये दानपत्र भूमि प्राप्त हुई थी। जिसमें से 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिनांक 26.04.1964 को अमृतलाल को आवंटन की गई थी। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार दान पत्र एवं भूमि विवरण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

यह प्रश्नगत भूमि भूदान बोर्ड की थी और अमृतलाल को बोर्ड द्वारा आवंटन की गई थी।

यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम में संशोधन कर भूदान आवंटितियों को खातेदारी देने का संशोधन कर दिया है।

यह कि बोर्ड की बैठक दिनांक [illegible] धारा 22 के अविकल पाठ के अनुसार इस जवाब दावा को ही पैरवी के रूप में [illegible] ते हुए निर्णय पारित फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 10:59:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह कि प्रकरण में जवाब प्रतिवादीगण उपरान्त तनकीयात कायम क जाकर प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। वादी अधिवक्त की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यु. 1 हेमन्त व पी.डब्ल्यु. 2 लोकेश का प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रकरण को बहस में नियत किया।

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर ने अपने जवाब के बिन्दु सं0 5 में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम में संशोधन कर भूदान आवंटितियों को खातेदारी देने का संशोधन कर दिया है। एवं राजस्थान सरकार ने राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करती करने की अधिसूचना दिनांक 1.12.2015 को जारी की जा चुकी है।

अतः पत्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड , प्रस्तुत दस्तावेजात एवं वादीगण के अधिवक्ता की बहस से स्पष्ट होता है कि वादपत्र में वर्णित कृषि आराजी खसरा नम्बर 304 की रकबा 0.67 हैक्टयर , खसरा नम्बर 305 की रकबा 0.64 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के आगे दर्ज भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर शब्द को हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वात्र स्वीकार करते हुए ग्राम सुल्लानपुर खसरा नम्बर 304 की रकबा 0.67 हैक्टयर , खसरा नम्बर 305 की रकबा 0.64 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 है0 पर से भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर अंकित शब्द को हटाये जाने एवं वसीयत से मृतक के वारिसान हेमन्त , लोकेश पुत्रान हीरालाल जाति ब्राहम्ण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner